2792/VII-I/07 (23)

संख्या 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास वि... देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2006

विषय :– मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004, शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति–2003 के प्राविधानों के अनुरूप Mega Projects, जिनमें कुल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो, की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि को बृहत पूंजी निवेश की औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय किये जाने पर Spot Zone औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विनियमित किया जायेगा।

1– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उतनी ही भूमि अधिसूचित/विनियमित की जायेगी, जितनी वास्तविक आवश्यकता Mega Projects के लिये हो।

2– Mega Proje...s का आशय ऐसे बृहत पूंजी निवेश के उद्योग से होगा, जिसमें कुल अचल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो।

3– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों आदि से नियमतः स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन तथा अनापत्ति आदि, जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित हैं, वह सम्बन्धित प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

4– शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों, नियमों तथा उपबन्धों के अनुरूप भू–उपयोग, भवन निर्माण, हरित पट्टी, सड़क तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।

5– ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की देख–रेख तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व प्रवर्तक कम्पनी की होगी।

6– विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु इच्छुक औद्योगिक इकाई/कम्पनी/ उद्यमी, इस आशय का आवेदन पत्र स्थापित किये जाने वाले उद्योग की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट, प्री–फिजिविलिटी रिपोर्ट, ले–आउट प्लान/की–प्लान, स्थलीय मानचित्र, सजरा मानचित्र, खसरा खतौनी, कम्पनी का मैमोरेण्डम आफ आर्टीकल एण्ड एशोसियेशन की प्रति, निदेशक मण्डल का रेजूलेशन तथा भू–स्वामियों से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में किये गये क्रय अनुबन्ध पत्र की प्रति सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत करेंगे, ताकि

तदोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार Mega Projects के लिये क्रय की जा रही/क्रय अनुबन्धित भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन/घोषित किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने, समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन तथा विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृ0 सं0 /उक्त/ तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफ़िसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5– आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
6– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8– अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
9– समस्त जिलाधिकारी।
10– प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
12– सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14– NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।
15– गार्ड फाइल हेतु।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 403 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून :27 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–387/69–उ.नि./पीएस/आईडी/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन मै. बोरोसिल ग्लास वर्क्स लि., खन्ना कन्स्ट्रक्शन हाउस, 44 डॉ. आर.जी. थडानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई के प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 पर सम्यक विचारोपरान्त द्वारा ग्राम–नलहेड़ी देहविरान, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित 11.78 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में दिये गये हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
नलहेड़ी देहविरान, तहसील–रूड़की	223 व 225	11.78

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 व अधिसूचना संख्या–27/2005–सी.ई. दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–नलहेड़ी देहविरान, तहसील–रूड़की के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, **अनुलग्नक–1** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) विशेष औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाई को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. प्रवर्तक कम्पनी उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में न्यूनतम 70 प्रतिशत रेजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायेगी।

6. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना नहीं की जायेगी।

7. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

27/12/06

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 4030 **/उक्त/तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
13. श्री पी.के. खेरूका, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मै. बोरोसिल ग्लास वर्क्स लि. पंजीकृत कार्यालय : खन्ना कन्स्ट्रक्शन हाउस, 44 डॉ. आर.जी. थडानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

Received on 27/12/06

27/12/06

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 618 / VII-2 / 312–उद्योग / 2007
देहरादूनः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 / 06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 531 / उ0नि0–मैगा प्रो0 / 2007–08 दिनांक 16 मई, 2007 के सन्दर्भ में मै0 बोरासिल ग्लास वर्क्स लि0, खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस, 44–डा0 आर0जी0 थडानी मार्ग, वर्ली मुम्बई द्वारा ग्राम नलहेड़ी, देहवीरान, तहसील रूड़की जनपद हरिद्वार में क्रय की गयी अतिरिक्त कुल 2.154 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
नलहेड़ी, देहवीरान, तहसील–रूड़की	219 से 222 व 227	2.154 एकड़

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Area/Estates के रूप में जनपद हरिद्वार, तहसील रूड़की, ग्राम–नलहेड़ी, देहवीरान के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये भवन निर्माण हेतु दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों / उपविधियों का पालन करना होगा।

3– प्रस्तावित मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु प्रवर्तक द्वारा भूमि क्रय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा (ii) तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से स्वीकृत कराना होगा।

4– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक / कम्पनी का होगा।

5– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

6– प्रवर्तक कम्पनी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार / सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि / भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र / लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।

8– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

27.12.07

9. मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु स्पॉट जोनिंग के लिए निश्चित मानकों/दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजैक्ट में प्रस्तावित पूंजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

10– प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जयेगी।

11– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

12. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 6018(1)/ VII-2/312–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
11. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
14. मै0 बोरासिल ग्लास वर्क्स लि0, खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस, 44–डा0 आर0जी0 थडानी मार्ग, वर्ली मुम्बई।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 504 /औ.वि./07–उद्योग/2006–07
दिनांक : देहरादून : 27 दिसम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–387/69–उ.नि./पीएस/आईडी/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन श्री विपिन नारायण पाण्डया, अधिकृत हस्ताक्षरी, मै. प्रिन्स पाईप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि., रूबी हाउस, बी विंग, चतुर्थ तल, जे.के.सांवत मार्ग, दादर (वैस्ट) मुम्बई के प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 पर सम्यक विचारोपरान्त ग्राम–सलेमपुर महमूद, तहसील व जिला–हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित 6.17 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में दिये गये हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
सलेमपुर महमूद, तहसील–रूड़की	1548, 1549/4 व 1549/5	6.17

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा संख्या–1548 व 1549 भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of the Existing Estates के क्रमांक–1 के क्रम संख्या–2 पर अंकित ग्राम–सलेमपुर महमूद, तहसील–हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, **अनुलग्नक–1** में दिये गये जी. आई.डी.सी.आर.–2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) विशेष औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाई को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

4. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

5. प्रवर्तक कम्पनी उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में न्यूनतम 70 प्रतिशत रेजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायेगी।

6. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरॉचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना नहीं की जायेगी।

7. विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 404(1)/उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
13. श्री विपिन नारायण पाण्डया, अधिकृत हस्ताक्षरी, मै. प्रिन्स पाईप्स एण्ड फिटिंग्स प्रा.लि., रूबी हाउस, बी विंग, चतुर्थ तल, जे.के.सांवत मार्ग, दादर (वैस्ट) मुम्बई।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2126/VII-2/262–उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः 31 जुलाई, 2007

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/69–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 360/उ0नि0–नि0औ0आ0/2007–08 दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के सन्दर्भ में मै0 राणा इण्डस्ट्रीज, न्यू राणा हाऊस, मेरठ रोड़, मुजफ्फरनगर द्वारा ग्राम शिकारपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में क्रय की गयी कुल 0.6039 हैक्टेयर भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
शिकारपुर, तहसील रूड़की	358 व 395	0.6039

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of existing Industrial Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो **(नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर)** को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा क्रय की गयी है। विशेष औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (1) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा।

3– मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु स्पॉट जोनिंग के लिये निश्चित मानकों/दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजैक्ट में प्रस्तावित पूंजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

4– फैक्ट्री भवन निर्माण हेतु भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी/उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

5– निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

7– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथाः बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं उद्यमी द्वारा किया जायेगा।

8– प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थायी लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल प्रस्तावित प्लान्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। सहवर्ती एवं सम्बन्धित उत्पादों में परिवर्तन तथा अभिवर्धन हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा संकता है।

11– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(पी0सी0शर्मा) 31/7
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2126/VII-2/262–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महादेय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मैसर्स राणा इण्डस्ट्रीज, न्यू राणा हाऊस, मेरठ रोड़, मुजफ्फरनगर।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव। 31/7

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 4616/VII-2/491–उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः०8 – नवम्बर, 2007

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 1732/उ0नि0–नि0औ0आ0/2007–08 दिनांक 24 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मै0 ए0एम0डी0 मेट प्लास्ट प्रा0, 18 पूसा रोड़ प्रथम तल, करोल बाग, नई दिल्ली को ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा, तहसील व जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 24.6 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
पदार्था उर्फ धनपुरा तहसील–हरिद्वार	41/2, (रकबा 5.85 एकड़), 43 (रकबा 1.99 एकड़) 45 (रकबा 1.07 एकड़) 47 रकबा (3.72 एकड़) 48 (रकबा 8.40 एकड़), 51/2 (रकबा–0.44 एकड़), 52 (रकबा 3.03 एकड़) 54 (रकबा 0.10 एकड़)	24.6 एकड़

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Area/Estates के रूप में ग्राम–पदार्था ऊर्फ धनपुरा के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये भवन निर्माण हेतु दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों/उपविधियों का पालन करना होगा।

3– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु प्रवर्तकों द्वारा भूमि क्रय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक/कम्पनी का होगा।

5– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

6– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथाः बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

7– प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा विशेष औद्योगिक आस्थान में उद्योगों की स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9. प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 4616(1)/VII-2/491–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम निय़ोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
14. मै0ए0एम0डी मेट प्लास्ट लि0, 18 पूसा रोड़, प्रथम तल, करोल बाग, नई दिल्ली।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 7/01
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 7112/VII-2/455–उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः 09 जनवरी, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 3740/उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट/2007–08 दिनांक 01 जनवरी, 2008 के सन्दर्भ में मै0 अज्ञा ब्रुट माल्ट प्रा0 लि0, एफ–11, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली को ग्राम ग्राम महुवाखेड़गंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित कुल 33.52 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	125एम, 125एम, 126, 127, 131, 133, 134, 198, 198एम, 198एम, 201एम, 201एम	33.52 एकड़

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Area/Estates के रूप में ग्राम–महुवाखेड़ागंज के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये भवन निर्माण हेतु दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों/उपविधियों का पालन करना होगा।

3– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु प्रवर्तक द्वारा भूमि कय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक/कम्पनी का होगा।

5– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

6– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथाः बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

7– प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा विशेष औद्योगिक आस्थान में उद्योगों की स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की कय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9. प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 712 (1)/VII-2/455–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. श्री अभिषेक अग्रवाल, मै0 अज्ञा ब्रुटमार्ट प्रा0लि0, एफ–11 सी, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 8/11
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 495 /VII-2/551–उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 4186/उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट/2007–08 दिनांक 28 जनवरी, 2008 के सन्दर्भ में मै0 एक्वा प्रोजैक्ट्स लि0, बी–2/15, डी0एल0एफ0, फेज–1, गुड़गॉव, हरियाणा को ग्राम अकबरपुर उर्द तथा पनडेपुर पिपली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में कय अनुबन्धित कुल 4.6947 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम अकबरपुर उर्द तथा पनडेपुर पिपली,	484, 486, 489, 490, 495, 497, 488	4.6947 हैक्टेअर

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के **(खसरा संख्या–488 को छोड़कर)** भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of the Existing Industrial Area/ Estates के रूप में ग्राम–अकबरपुर उर्द तथा पनडेपुर पिपली के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। **खसरा संख्या–488 भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, इस भूमि पर प्रस्तावित उद्योग की स्थापना पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**

2. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये भवन निर्माण हेतु दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों/उपविधियों का पालन करना होगा।

3– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु प्रवर्तक द्वारा भूमि कय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक/कम्पनी का होगा।

5– मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

6– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथाः बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

7– प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा विशेष औद्योगिक आस्थान में उद्योगों की स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9. प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 495 (1)/VII-2/455–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार।
14. श्री सुरेश खण्डेलवाल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मै0 एक्वा प्रोजैक्ट्स लि0, बी–2/15, डी0एल0एफ0, फेज–1, गुड़गॉव, हरियाणा।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 413
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : 2444/VII-II/551–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 03 सितम्बर, 2008
अधिसूचना/संशोधन

मै0 एक्वा प्रोजैक्ट लि0, बी–2/215, डी0एल0एफ0, फेज–1, गुड़गॉव, हरियाणा को ग्राम अकबरपुर उर्द तथा पनडेरपुर पिपली, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के पक्ष में शासन की अधिसूचना संख्याः 495/VII-II/551–उद्योग/08 दिनांकः 05 मार्च, 2008 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अधिसूचित कुल 4.6947 हैक्टेअर भूमि के अन्तर्गत उल्लिखित खसरा संख्याओं के अतिरिक्त खसरा संख्या–487 को श्री राज्यपाल महोदय विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत होंगे।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2444 (1)/VII-II-08/551–उद्योग/06–07 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की, जिला हरिद्वार।
14. श्री सुरेश खण्डेलवाल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मै0 एक्वा प्रोजैक्ट्स लि0, बी–2/15, डी0एल0एफ0, फेज–1, गुड़गॉव, हरियाणा।
15. NIC Uttarakhand: सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

आज्ञा से,
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

letters

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2295/VII-2/151–उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उद्योग/पी0एस0/आई0डी0/07–उद्योग/2006 दिनांक 20.12.2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिये विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 907/उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट/08–09 दिनांक 30 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 पॉलीप्लैक्स कॉरपोरेशन लि0 द्वारा जिला ऊधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर, ग्राम विकमपुर में कय अनुबन्धित कुल 21.488 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
विकमपुर तहसील बाजपुर	227/1, 227/1/2, 228/1/1, 228/1/2, 228/2/1, 228/2/2, 228/2/4	21.488

(1) मैगा प्रोजैक्ट के लिए प्रस्तावित ग्राम–विकमपुर, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर स्थित खसरा संख्या–227मि0 तथा 228 मि0 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत **Category-B 'Proposed Industrial Area** के अन्तर्गत कमांक–11 के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित हैं। विशेष औद्योगिक आस्थान के लिए प्रस्तावित खसरा संख्या–227/1, 227/1/2, 228/1/1, 228/1/2, 228/2/1, 228/2/2, 228/2/4 कुल रकबई–21.488 एकड़ भूमि भारत सरकार से अधिसूचित खसरा संख्या–227मि0 तथा 228मि0 के अन्तर्गत ही आवर्त हैं तथा इस भूमि पर प्रस्तावित उत्पाद के विनिर्माण पर भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

(2) **GIDCR-2005** में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों, उपबन्धों विधियों/उपविधियों का पूर्णतः पालन करना होगा।

(3) प्रस्तावित विशेष औद्योगिक क्षेत्र के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय/कय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कयानुबन्धित भूमि के कय विलेख पत्र **(Sale Deed)** नियमतः निष्पादित कराकर **GIDCR-2005** के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली कम्पनी की प्रस्तावित इकाई का भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

(4) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जाय।

(5) आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

(6) कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेंकिंग' लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

(7) क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **BOPET or PET Films, BOPP Films & Other Homogeneous Products** के विनिर्माण तथा परियोजना के लिए वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जायेगा।

(8) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

(9) मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु स्पॉट जोंनिंग के लिये निश्चित मानकों/दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजैक्ट में प्रस्तावित पूँजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

(10) प्रवर्तक द्वारा परियोजना की स्थापना की प्रति एवं विकास कार्यों आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(12) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2295 (1)/VII-II/151-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध, निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 2, न्यू कैन्ट रोड़, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. मै0 पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लि0, लोहिया हेड रोड़, खटीमा, ऊधमसिंहनगर।
15. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 3185 / VII-II/262-उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 03 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 / 06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 2735 / उ0नि0(पाँच)–मैगा प्रोजैक्ट / 2008–09 दिनांक 16 सितम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मै0 मैट्रो इलैक्ट्रिकल प्रा0लि0 को ग्राम पदार्था व धनपुरा, तहसील व जिला हरिद्वार में कय अनुबन्धित कुल 8.808 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर)
ग्राम–पदार्था व धनपुरा तहसील–हरिद्वार	58, 59, 60, 62, 63, 64, 65	8.808

2– भारत सरकार की अधिसूचना सख्याः 50 / 2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के रूप में ग्राम पदार्था उर्फ धनपुरा, तहसील व जिला हरिद्वार के सम्मुख अन्तर्गत अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये बृहत उद्यम (Mega Projects) (नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

(5) कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "इलैक्ट्रिकल डिविजन" के अन्तर्गत इलैक्ट्रिकल वाईरिंग डिवाईसेज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फैन, लैम्प ट्यूब व सी0एफ0एल0 तथा केबिल्स वायर तथा "ब्यूटी केयर डिविजन" के अन्तर्गत "टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर, टैलकम पाउडर, शैम्पू, सोप, हेयर ऑयल" उत्पादों के विनिर्माण के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का, दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 385 (1)/VII-II-/262–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 मैट्रो इलैक्ट्रिकल्स प्रा0लि0, एफ–3–जे, अमृत गंगा अपार्टमैन्ट, भोपतवाला, ऋषिकेश रोड, हरिद्वार।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 3196/VII-II/278-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 12 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 2585/उ0नि0(प्रॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/2008–09 दिनांक 10 सितम्बर, 2008 के सन्दर्भ में मै0 राणा ग्लोबल लि0 को ग्राम गंगनौली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 7.566 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर)
ग्राम–गंगनौली तहसील–लक्सर	280, 281, 283, 284, 286, 287	7.566

2– उक्त तालिका में उल्लिखित खसरा नम्बर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के अन्तर्गत क्रमांक–5 पर ग्राम गंगनौली, तहसील लक्सर के सम्मुख अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को (नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर) को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी; उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

(5) क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "इन्टीग्रेटेड स्टेनलैस स्टील" मैगा प्लांट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न

स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

8– आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 3196 (1)/VII-II-/278–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 राणा ग्लोबल लि0, 108–109, प्रताप भवन, 5 बहादुर शॉह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आधेसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

10
m.P.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 744 / VII-II / 245–उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 31मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 6153 / उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 16 मार्च 2010 के सन्दर्भ में मै0 सणा उद्योग, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में ग्राम–दहियाकी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार के अन्तर्गत क्रय अनुबन्धित 2.264 हैक्टेअर अतिरिक्त भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम– दहियाकी, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार	01	2.264 हैक्टेअर

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C " Industrial Activity in Non Industrial Area (to be notified along with extension) के अन्तर्गत अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योगों को (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोडकर) विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

क्रमशः–2–

7. कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "स्टेनलैस स्टील फलैट्सय स्प्रिंग लीफ तथा अन्य होमोजीनियस " आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 744 (1)/VII-II/245–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औ0नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 राणा उद्योग, मेरठ रोड–मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव। 31/3

10 M.P

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 986 / VII-II / 245–उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 31मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 744 / VII-II / 245–उद्योग / 2008 दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा मै0 राणा उद्योग, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में विशेष औद्योगिक क्षेत्र विनियमित / अधिसूचित किये जाने विषयक उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये प्रस्तर–1 में अंकित तालिका में खसरा संख्या–1 के स्थान पर खसरा संख्या–87 व 88 पढ़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 986 (1) / VII-II / 245–उद्योग / 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औ0नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 राणा उद्योग, मेरठ रोड–मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 31/3
प्रमुख सचिव।

15-4-10

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

संख्याः 2149/VII-II/140-उद्योग/2008

देहरादूनः दिनांकः 4 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 766/उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/2008–09 दिनांक 22 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 मृक इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (यूनिट–2) के पक्ष में ग्राम मुण्डियाकी तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कय अनुबन्धित कुल 7.16619 एकड भूमि को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम–मुण्डियाकी, तहसील रूड़की,	399 से 401, 405 से 410	**7.16619**

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in Non Industrial Area (To be Notified along with Extension) के अधीन कमांक–9 पर अधिसूचित हैं तथा जिसे अधिसूचना संख्या–27–27/2005–सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के एनेक्चर–2 में Industrial Activity in Non-Industrial Area के रूप में प्रतिस्थापित किया जा चुका है, में स्थापित उद्योग के पर्याप्त विस्तार अथवा नये उद्योग की स्थापना पर **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– कय की जाने वाली भूमि का उपयोग वाशिंग मशीन एवं टिकाऊ उत्पादों के विर्निमाण उद्योग तथा उसके वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिये किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/

अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8– **कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।**

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः2189 (1)/VII-II-/140–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 मृक इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (यूनिट–2), ग्राम मुण्डियाकी तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 3/2
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः2346/VII-II/243-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 4 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 588/उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/2008–09 दिनांक 12 मई, 2008 के सन्दर्भ में मै0 ट्यूब इन्वैस्टमैन्ट ऑफ इण्डिया लि0 को ग्राम गंगनौली तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल (23.52एकड़) 9.522है0 भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर)
ग्राम–गंगनौली, तहसील लक्सर	222, 225, 227, 229, 230, 231, 236, 237, 238, 244, 246	9.522

2– उक्त खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के अन्तर्गत क्रमांक–5 में ग्राम गंगनौली तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के सम्मुख अन्तर्गत अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये बृहत उद्यम (Mega Projects) **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

(5) क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग Steel Tubes, Chains and Metal Formed Components उत्पादों के विर्निमाण के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/

9

अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा ... पूर्ण की जायेंगी।

8– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लधंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः2346 (1)/VII-II-/243–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 ट्यूब इन्वैस्टमैन्ट ऑफ इण्डिया लि0, दारी हाउस, 234, एन0एस0सी0बोस रोड़, चेन्नई।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः ५०८१ /VII-II/390-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 5 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0/06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 4133/उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/2008–09 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के सन्दर्भ में मै0 बोरोसिल ग्लास वर्क्स लि0 के पक्ष में ग्राम नल्हेड़ी, देहवीरान तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में शासनादेश संख्याः 403/औ0वि0/07–उद्योग/2007 दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 व संख्याः 6018/सात–2/312–उद्योग/2007 दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 से अधिसूचित निम्न तालिका में अंकित खसरा संख्याओं को निरस्त करते हुये मै0 एम0जे0 लोजैस्टिक सर्विसेज लि0 के पक्ष में कय अनुबन्धित कुल 12.548 एकड भूमि को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम–नल्हेड़ी, देहवीरान तहसील रूड़की,	219 से 223 व 225	12.548

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के रूप में ग्राम नल्हेड़ी देहवीरान, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार के सम्मुख अन्तर्गत अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले नयी औद्योगिक इकाईयों (Mega Projects) **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

(5) कय की जाने वाली भूमि का उपयोग Industrial Logistics Centre including cold-chain management and Inland Container Depot (ICD)/Containers Freight Station (CFS) के विर्निमाण के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8– आवेदक इकाई उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः ५०४। (1)/VII-II-/390–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 एम0जे0लोजैस्टिक सर्विसेज लि0, ए–227, इण्डस्ट्रियल एरिया, ओखला, नई दिल्ली।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पी0सी0शर्मा) 5/2
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 373/VII-II/390-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2009

अधिसूचना/संशोधन

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 4081/VII-II/390. उद्योग/2008 दिनांकः 5 फरवरी, 2009 के क्रम में उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 5002/उ0नि0(पॉच)–वि0औ0आ0/2008–09 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के सन्दर्भ में उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये मै0 एम0जे0 लोजिस्टिक सर्विसेज लि0 के पक्ष में जिला हरिद्वार, तहसील–रूड़की, ग्राम–नल्हेड़ी देहवीरान में विनियमित/अधिसूचित कुल 12.548 एकड़ भूमि के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुये कुल 12.553 एकड़ भूमि पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः373 (1)/VII-II-/390–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 एम0जे0लोजैस्टिक सर्विसेज लि0, ए–227 इण्डस्ट्रियल एरिया, ओखला, नई दिल्ली।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 342 / VII-II/372-उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 02 मार्च, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 / 06 दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजैक्ट्स की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 3724 / उ0नि0(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट / 2008–09 दिनांक 25 नवम्बर, 2008 के सन्दर्भ में मै0 सैफेक्स ग्लास सोल्यूसन्स प्रा0लि0 के पक्ष में ग्राम–बन्दाखेड़ी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 7.60 एकड भूमि को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम–बन्दाखेड़ी तहसील–रूड़की	22, 23 मध्ये	7.60

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सख्याः 50 / 2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के अनुलग्नक–2 में जिला हरिद्वार के अधीन कैटेगरी–बी Proposed Industrial Area/Estates के अन्तर्गत कमांक–9 पर अधिसूचित भूमि पर स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "**ट्रेडिंग ग्लासेज**" के विर्निमाण के लिये मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

8– आवेदक इकाई उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की क्रय विलेख पत्र (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 3942 (1)/VII-II-/372–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, (रूड़की) हरिद्वार।
14. प्रवर्तक/निदेशक, सैफेक्स ग्लास सोल्यूसन्स प्रा0लि0, ए 2/10, W.H.S. डी0डी0ए0 मार्बल मार्केट, कीर्तिनगर, नई दिल्ली– 110 015
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 543/VII-2(09)/36–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 4089/उ0नि0–(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/08–09 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के सन्दर्भ में मै0 अनिल कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु ग्राम–अकबरपुर उर्द, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 2.0120 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
अकबरपुर उर्द तहसील लक्सर	529	2.0120

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of Existing Estate/Area के अन्तर्गत अधिसूचित है इस खसरा नम्बर पर प्रस्तावित उद्योग की स्थापना किये जाने पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7. क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "Co-extruded Seamless Tubes & Packaging Unit" उत्पादक इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश

22

के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 4043 (1)/VII-2(09)/36–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 अनिल कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, गट नं0–72, ग्राम–फरोला, पैठन रोड़, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 368 /VII-2(09)/409–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 3972/उ0नि0–(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/08–09 दिनांक 11 दिसम्बर 2008 के सन्दर्भ में मै0 श्री सीमेन्ट लि0 को ग्राम–अकबरपुरउद तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में क्रय अनुबन्धित कुल 7.603 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
अकबरपुरउद तहसील लक्सर	510, 511, 513, 514, 515, 515म, 517, 519, 521	7.603

2. उक्त तालिका में अंकित खसरे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of Existing Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो **(नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर)** को भारत सरकार, के द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या--34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

6– विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "**सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट**" की स्थापना के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु किया जायेगा।

10

8– आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:368 (1)/VII-2/409–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. श्री सीमेन्ट लि0, बांगर नगर, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 437 / VII-II/09 / 409–उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 09 मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 4696 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 19 दिसम्बर 2009 एवं पत्रांक 5610 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 15 फरवरी 2010 के संन्दर्भ में मै0 श्री सीमेण्ट लि0 बांगेड नगर, पो0 बो0 नं0–33 बेवाड़, राजस्थान के पक्ष में ग्राम–अकबरपुर ऊर्द, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में प्रस्तावित **"सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइन्डिंग यूनिट"** की स्थापना हेतु वृहत परियोजना (मैगा प्रोजैक्ट) के अन्तर्गत जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर)
ग्राम– अकबरपुर ऊर्द, तहसील, लक्सर जनपद–हरिद्वार	500, 505, 520	4.294 हैक्टेअर

1– GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।

2– इकाई द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–368 / सात–2(09) / 409 उद्योग / 08 दिनांक 18 मार्च 2009 एवं राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 563 / अट्ठारह / 2 / 2009–01(155) / 08 दिनांक 18.03.2009 से जारी शर्तों / प्रतिबन्धों का पालन करेगी।

3– इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः विधिवत भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त कर आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित करानां होगा और (ii) तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4–विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

5– विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

क्रमशः 2–

6-भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन संख्या 50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या-266 Category-D "Expansion of the Existing Industrial Area" के अन्तर्गत अधिसूचित है।

7-क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **"सीमेन्ट क्लिंकर ग्राईडिंग यूनिट"** के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8- आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9- विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्याः 437 (1)/VII-II/09/409-उद्योग/2008 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति सवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. मै0 श्री सीमेण्ट लि0, बांगेड नगर, पो0 बो0 नं0-33 बेवाड़, राजस्थान।
13. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 4038/VII-2(09)/277–उद्योग/07
देहरादूनः दिनांक 05 जून, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 3817/उ0नि0–(पॉच)–वि0औ0क्षेत्र/08–09 दिनांक 01दिसम्बर 2008 एवं पत्रांक 3076/उ0नि0–(पॉच)–वि0औ0क्षेत्र/08–09 दिनांक 04अक्टूबर 2008 के सन्दर्भ में श्री बॉके बिहारी इस्पात प्रा0लि0 द्वारा जिला उधमसिंहनगर तहसील किच्छा ग्राम किशनपुर के प्रस्तावित खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों **एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम किशनपुर तहसील किच्छा	512, 522 व 527	12.38

2. उक्त तालिका में अंकित खसरे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत **Category-B Proposed Industrial Area** के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो **(नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर)** को भारत सरकार, के द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7– कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "इंगट" निर्माणक इकाई के विस्तारीकरण में **"स्टील बार"** के निर्माण के लिए मैग प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु किया जायेगा।

कमशः–2–

8- आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9- यह आदेश शासनादेश संख्या-940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 09/10 नवम्बर 2004 के प्रस्तर-3 में इंगित शर्त पर सम्यक विचारोपरान्त शिथिलता प्रदान करते हुये किया जा रहा है।

10- विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

11- प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

12- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1)/4038/VII-2(09)/277--उद्योग/07 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), नई दिल्ली।
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड प्रर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र रूड़की (हरिद्वार)।
13. श्री बॉके बिहारी इस्पात प्रा0लि0 ग्राम किशनपुर, रूद्रपुर-किच्छा रोड, किच्छा, उधमसिंहनगर
14. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2100 / VII-II/09 / 141–उद्योग / 2009
देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 2141 / उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 22 जून 2010 के संन्दर्भ में **मै0 राणा एल्वाइज, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर** के पक्ष में **ग्राम–गंगनोली, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार** में मैगा प्रोजैक्ट के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचना दिनांक 29 जून 2009 से विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि के साथ उक्त ग्राम की अतिरिक्त भूमि को जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम–गंगनोली, तहसील लक्सर,	263	1.208

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या–263 Category-B "Proposed Industrial Area/Estate" के रूप में क्रमांक–5 पर ग्राम गंगनौली, तहसील लक्सर के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज के अन्तर्गत आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूँजी निवेश उपादान सहायता का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।

4. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

क्रमशः–2–

7. क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "एस0एस0फलैट्स, जी0आई0पाईप, एम0एस0पाईप, एमएस0ईंगट व रिफैक्ट्री" आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव 13/7

पृष्ठांकन संख्याः 2100 (1)/ VII-II/09/141–उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 राणा एल्वाइज, 4 किमी0 स्टोन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव। 13/7

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 3094 / VII-II/09 / 219–उद्योग / 2009
देहरादूनः दिनांकः 30 नवम्बर 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 2472 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 20 अगस्त 2009 एवं पत्रांक 2736 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 02 सितम्बर 2009 के सन्दर्भ में **मै0 हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लि0** के पक्ष में **ग्राम–अकबरपुर ऊर्द तहसील लक्सर जिला हरिद्वार** में मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के अंतर्गत मै0 हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लि0 द्वारा **"एस0एस0 इंगट, फलैट, एम0एस0 एंगल, बार व फलैट"** की स्थापना हेतु रकबई 5.064 हैक्टेअर व 4.847 हैक्टेअर भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम– अकबरपुर ऊर्द, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार।	595, 596, 597, 608, 609, व 610	5.064 हैक्टेअर
	602, 603, 607, 611 व 612	4.847 हैक्टेअर

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D "Expansion of the Existing Industrial Area/Estate" के अन्तर्गत अधिसूचित है इस खसरा नम्बर पर प्रस्तावित उद्योग की स्थापना किये जाने पर विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।

7. क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "एस0एस0 इंगट, फलैट, एम0एस0 एंगल, बार व फलैट" आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, को स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 3094 (1)/ VII-II/09/219-उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रोलिंग्स लि0
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव। 29/X1

Kind Attention - Sh. S. S. Dha

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 3033/VII-II/09/262-उद्योग/2009
देहरादून: दिनांक 12 फरवरी 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-387/697-उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांक: 4115/उ0नि0(पांच)-मैगा प्रोजैक्ट/09-10 दिनांक 19 नवम्बर 2009 के सन्दर्भ में मै0 हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 को अपनी ग्रुप कम्पनियों के साथ मैगा प्रोजैक्ट के अन्तर्गत एयर कण्डीशनर्स, एअर कण्डीशनर्स कॉयल, ऑटो रेडियेटर्स, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रीकेशन, कम्पोनेन्ट्स उत्पादों के विनिर्माण हेतु उनकी ग्रुप कम्पनी मै0 लायड इलैक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग प्रा0 लि0, मै0 परफैक्ट रेडियेटर्स एण्ड आयल कूलर्स प्रा0लि0 तथा मै0 पी0एस0एल0 इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 के लिए संयुक्त रूप से ग्राम-सलेमपुर महदूद द्वितीय, परगना रूड़की, तहसील व जिला हरिद्वार में जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, में स्थापित करने हेतु भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम-सलेमपुर महदूद द्वितीय परगना रूड़की तहसील व जिला हरिद्वार	1511, 1512, 1519, 1525 व 1527	3.636 हैक्टेअर

1- GIDCR-2005 में औद्योगिक ईकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

2- विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु धारा-143 ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत (i) कृषि भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक भूमि में परिवर्तन सुनिश्चित करना होगा और (ii) तत्पश्चात् विशेष औद्योगिक आस्थान तथा उसमें स्थापित होने वाली तीनों औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने होगें।

3-विशेष औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक तथा ग्रुप कम्पनियों का होगा।

4- आवेदक कम्पनी द्वारा अर्जित भूमि के खसरा संख्या 1511, 1512, 1519, 1525 व 1527 भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003-सीई दिनांक 10 जून 2003 के Annexure-II में Category-D "Expansion of the Existing Industrial Estates/Area" के रूप में क्रमांक-1 पर ग्राम सलेमपुर महदूद द्वितीय के सम्मुख स्तम्भ-4 में अधिसूचित है तथा इन खसरा नम्बरों पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित उद्योग को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

5- प्रवर्तक कम्पनी की ग्रुप कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित उद्योगों के विनिर्माण किये जाने वाले उत्पाद भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7.1.2003 के एनेक्चर-III में दिये नकारात्मक सूची में सम्मिलित नहीं है।

6- आवेदक कम्पनी मै0 हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 द्वारा अर्जित भूमि अपनी ग्रुप कम्पनियों को प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के लिए विक्रय/लीज में दी जानी है, जिसके लिए नियमानुसार विधिक रूप से लीज सेल डीड का निष्पादन किया जाना वांछनीय होगा।

क्रमश: 2..

7- विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।

8- कय की जाने वाली भूमि का उपयोग एयर कण्डीशनर्स, एअर कण्डीशनर्स कॉयल, ऑटो रेडियेटर्स, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रीकेशन, कम्पोनेन्ट्स उत्पादों के विनिर्माण की उक्त इकाईयों की स्थापना हेतु ही कियां जायेगा।

9- आवेदक तथा उसकी सभी ग्रुप कम्पनियां उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

10- विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

11- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 3033 (1)/VII-II/09/262-उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)।
13. श्री आर०बी० पुंज, निदेशक, मै० हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा० लि० सेलाकुई देहरादून।
14. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1794 / VII-II/09 / 136–उद्योग / 2009
देहरादूनः दिनांकः 04 ~~दिसम्बर~~ मार्च 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 3419 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 08–09 दिनांक 04 नवम्बर 2008 एवं पत्रांक दिनांक 04 अगस्त 2009 के सन्दर्भ में मै0 नन्दी इस्पात लि0 प्राईस एपार्टमेन्ट एच–102, पतपरगंज, नई दिल्ली को ग्राम–सरकड़ा, तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंहनगर में प्रस्तावित **रोलिंग मिल एवं इण्डैक्शन फर्नेस** विनिर्माण इकाई हेतु वृहत परियोजना (मैगा प्रोजैक्ट) की स्थापना हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–सरकड़ा तहसील, सितारगंज जनपद–उधमसिंहनगर	275, 276, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 308 / 2, 309, 310, 311, 313, 318 व 327	**15.105 एकड़**

1– GIDCR-2005 में औद्योगिक ईकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

2– इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रर्वतक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र Sale Deed निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (1) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिर्वतन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र SIDA से स्वीकृत कराने होगें।

3–विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक तथा ग्रुप कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

4– आवेदक कम्पनी द्वारा अर्जित भूमि के खसरा संख्या 275, 276, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 309, 310, 311, 313, 318 व 327 भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003–सीई दिनांक 10 जून 2003 के Annexure-II में जनपद उधमसिंहनगर के अधीन Category-B "Proposed Industrial Area/Estates" के रूप में क्रमांक–7 पर ग्राम सरकड़ा तहसील सितारगंज के अन्तर्गत अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। उपरोक्त अंकित खसरा संख्या 308 / 2 किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है तथा इस भूमि पर केवल थ्रस्ट सैक्टर के उद्योगों पर ही घोषित पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

5– विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

क्रमशः–2–

6– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **रोलिंग मिल एवं इण्डैक्शन फर्नेस** उत्पादों के विनिर्माण की उक्त इकाईयों की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

7– आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

9– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1794 (1)/VII-II/09/136–उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति सवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/ महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. मै0 नन्दी इस्पात लि0, प्राईस एपार्टमेन्ट एच–102, पतपरगंज, नई दिल्ली।
13. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 2401/VII-II/09/249 उद्योग/2009
देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 3081/उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट/09–10 दिनांक 16 सितम्बर 2009 के सन्दर्भ में मै0 एस0आर0एफ0लि0 (यूनिट–2) की स्थापना हेतु ग्राम–रम्पुरा तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर में **फलैक्सिबल लेमिनेटिड फैबरिक/टारपौलिन** उत्पाद के विनिर्माण इकाई हेतु वृहत परियोजना (मैगा प्रोजैक्ट) की स्थापना हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित है, को विशेष औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान के रूप में अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–रम्पुरा तहसील, काशीपुर जनपद–उधमसिंहनगर	12/3 मध्ये	5.27 एकड़

1– GIDCR-2005 में औद्योगिक ईकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

2– विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाले मैगा प्रोजेक्ट का भवन मानचित्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण SIDA से स्वीकृत कराने होगें।

3–विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा।

4– विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

5– विशेष औद्योगिक आस्थान का उपयोग **फलैक्सिबल लेमिनेटिड फैबरिक/टारपौलिन** उत्पादों के विनिर्माण की उक्त इकाईयों की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

6– आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

क्रमशः–2–

8– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003–सीई दिनांक 10 जून 2003 तथा अधिसूचना संख्या 27/2005–सी0ई0 दिनांक 19 मई 2005 के Annexure-II में Category-C के अन्तर्गत "Existing Industrial Activity in Non-Industrial Area" के रूप में जनपद उधमसिंहनगर के तहसील काशीपुर ग्राम रम्पुरा के सम्मुख स्तम्भ–3 में अधिसूचित है तथा इस भूमि में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोडकर) को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ पात्रता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

9– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2401 (1)/VII-II/09/249–उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. मै0 एस0आर0एफ0 लि0 यूनिट–2 प्लाट नं0–12 रम्पुरा, रामनगर रोड, काशीपुर उधमसिंहगर।
13. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग--2
संख्याः 3199/VII-II/09/410-उद्योग/2008
देहरादूनः दिनांकः 10 अप्रैल 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-387/697-उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 388/उ0नि0-मैगा प्रोजैक्ट/08-09 दिनांक 29 अप्रैल 2008 के सन्दर्भ में मै0 ए0सी0सी0 लि0 द्वारा ग्राम-महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर जिला उधमसिंहनगर स्थित 70.1047 एकड़ (69.6637 एकड़ अधिसूचित तथा 0.4410 अनाधिसूचित), ग्राम-गरिधई, तहसील काशीपुर की 38.45 एकड़ अनाधिसूचित भूमि तथा ग्राम बघेलेवाला, तहसील-काशीपुर की 8.3890 एकड़ अनाधिसूचित भूमि को मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के अंतर्गत सीमेन्ट ग्राईडिंग मैगा प्रौजेक्ट की स्थापना तथा परियोजना के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल
ग्राम- महुवाखेड़ागंज, तहसील-काशीपुर	1/1, 1, 2, 3, 4, 6, 7मि, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30मि, 32मि, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51	70.1047 एकड़
ग्राम-गरिधई, तहसील काशीपुर	206, 207मि, 213, 209, 212मि, 212/2मि, 214मि,	38.45 एकड़
ग्राम बघेलेवाला, तहसीलकाशीपुर	272, 273, 275, 277, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285	8.3890 एकड

2. ग्राम-महुँआखेडा, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-1/1, 1, 2, 3, 4, 6, 7मि, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30मि, 32मि, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 51 कुल रकवा 69.6637 एकड़ भूमि सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना-50/2003 के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून 2003 के Annexure-II के रूप में अधिसूचित है, जिस पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग (नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोडकर) को विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3- ग्राम महुँआखेडा, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-- 46 रकवा 0.4410; ग्राम गिरधई, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या-206, 207मि, 213, 209, 212मि, 212/2मि, 214मि, कुल 38.45 एकड़ तथा ग्राम बघेलेवाला, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या--272, 273, 275, 277, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 कुल रकबा 8.38 एकड़ भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, इस भूमि पर केवल भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7.1.2003 के अनुलग्नक-2 में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

4. GIDCR-2005- में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

5. कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "सीमेण्ट ग्राइंडिग" की स्थापना के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना तथा परियोजना के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के लिए किया जायेगा।

कमशः-2-

6. इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

7. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

8. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

9. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

10. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

11. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 3199 (1)/ VII-II/09/410–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग),उद्योग भवन, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंहनगर।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय देहरादून/प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. मै0 ए0सी0सी0 लि0 एन0सी0आर प्लाजा, 24–ए न्यू कैण्ट रोड, देहरादून।
11. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1741 / VII-II/09 / 81–उद्योग / 2010
देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर 2010

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 240 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 10–11 दिनांक 17 अप्रैल 2010 एवं पुनः पत्रांक 877 / उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट / 10–11 दिनांक 31 मई 2010 के संन्दर्भ में मै0 शक्तिभोग फूड्स लि0 नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली के पक्ष में ग्राम–सलेमपुर महदूद द्वितीय तहसील व जिला हरिद्वार की 3.7037 हैक्टेअर अर्जित भूमि को, जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन मैगा प्रोजैक्ट के रूप में विशेष औद्योगिक क्षेत्र / आस्थान के रूप में अधिसूचित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम– सलेमपुर महदूद द्वितीय तहसील व जिला हरिद्वार।	1806, 1807, 1808 व 1810	3.7037

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत क्रमांक–43(2) के सम्मुख स्तम्भ–3 में Category-D "Expansion of the Existing Industrial Area/Estate" के रूप में ग्राम–सलेमपुर महदूद द्वितीय, तहसील व जिला हरिद्वार के अन्तर्गत अधिसूचित है।

3. GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।

4. विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाले मैगा प्रोजैक्ट का भवन मानचित्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6. विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7. क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग "बिस्किट एवं कुकीज प्लांट" उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के लिए किया जायेगा।

क्रमशः–2–

8. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपल कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित कि जायेगा।

9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन त निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगि नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगि आस्थान में नही की जायेगी।

10. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष प्रोत्साहन पैकेज में प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छू की अनुमन्यता के लिए उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सीमा 31.3.2010 निर्धारित थी। अतः इकाई को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

11. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1741(1)/ VII-II/09/81–उद्योग/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 शक्तिभोग फूड्स लि0 नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को बेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 671 /VII-1/2013/75–उद्योग/2012
देहरादून : दिनांकः 23 अगस्त 2013

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों एवं शासनादेश संख्या 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजेक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों तथा उद्योग निदेशालय के संस्तुति सम्बन्धी पत्र संख्या 3170/उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट/10–11, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 एवं पत्र संख्या 1716/उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट/2012–13, दिनांक 19 जुलाई, 2012 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2003–सैन्ट्रल एक्साईज, दिनांक 10.06.2003 के क्रम में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम महुवाखेड़ागंज के खसरा संख्या 1068, 1069 एवं 1075 कुल रकवई 1.89 हैक्टेयर अर्थात् 4.670 एकड़ भूमि में मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु मै0 शेख भुल्लन एण्ड सन्स (मैगा प्रोजक्ट), इण्डस्ट्रियल एरिया, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2003–सी0ई0, दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure –II में जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या 1068, 1069, 1075 Category-B "Proposed Industrial Area/Estate" के रूप में क्रमांक–8 पर ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज के अन्तर्गत आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।
2. जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्ध का पूर्णतः पालन करना होगा।
3. इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय कर अर्जित की गयी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमः जी0आई0डी0सी0आर0–2005 के उपबन्धों के अनुरूप आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से स्वीकृत करायेंगे।
4. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।
5. विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनाऐं उपलब्ध करायी जायेंगी।
6. विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों यथा वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्नि शमन विभाग, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन आदि से वांछित

विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7. आस्थान के प्रवर्तक द्वारा यह अण्डरटेकिंग लिखित में दी जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. कय की जाने वाली भूमि का उपयोग Manufacture of Cotton Woolen and Silk Carpets other made by hand आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई के स्थापना हेतु ही किया जायेगा।
9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इस अधिसूचना को निरस्त किया जा सकता है।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 671 (1)/VII-1/2013/75–उद्योग/2012, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ्ज्ञ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औ0 नीति संवर्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
10. मैसर्स शेख भुल्लन एण्ड सन्स (मैगा प्रोजक्ट), इण्डस्ट्रीयल एरिया, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः1846 /VII-1/2013/76–उद्योग/2012
देहरादून : दिनांकः23 अगस्त 2013

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों एवं शासनादेश संख्या 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा मैगा प्रोजेक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों तथा उद्योग निदेशालय के संस्तुति सम्बन्धी पत्र संख्या 3171/उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट/10–11, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 एवं पत्र संख्या 5027/उ0नि0(पांच)–मैगा प्रोजैक्ट/2012–13, दिनांक 16 फरवरी, 2013 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/3003–सैन्ट्रल एक्साईज, दिनांक 10.06.2003 के क्रम में जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम महुवाखेड़ागंज के खसरा संख्या 1074/1/2, 1074/1/3, 1074/1/4, 1076 एवं 1074 मि0 कुल 2.736 हैक्टेयर भूमि में मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु मै0 रिजवान एक्सपोर्ट हाउस (मैगा प्रोजक्ट), इण्डस्ट्रियल एरिया, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2003–सी0ई0, दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure –II में जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत भूमि का खसरा संख्या 1074/1/2, 1074/1/3, 1074/1/4, 1077/1, 1076 एवं 1074 मि0 Category-B "Proposed Industrial Area/Estate" के रूप में क्रमांक–8 पर ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर के सम्मुख स्तम्भ–4 में अधिसूचित है। इस अधिसूचित भूमि पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नये उद्योग को विशेष पैकेज के अन्तर्गत आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।
2. जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिए दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्ध का पूर्णतः पालन करना होगा।
3. इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय कर अर्जित की गयी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमः जी0आई0डी0सी0आर0–2005 के उपबन्धों के अनुरूप आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाई के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से स्वीकृत करायेंगे।
4. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन करना होगा।
5. विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सूचनाऐं उपलब्ध करायी जायेंगी।
6. विशेष औद्योगिक आस्थान को विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों यथा वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्नि शमन विभाग, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन आदि से वांछित

विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7. आस्थान के प्रवर्तक द्वारा यह अण्डरटेकिंग लिखित में दी जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग Woolen Carpets उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।
9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना नहीं की जायेगी।

उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इस अधिसूचना को निरस्त किया जा सकता है।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः /846 (1)/VII-1/2013/76-उद्योग/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ्ज्ञ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औ0 नीति संवर्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
10. मैसर्स रिजवान एक्सपोर्ट हाउस (मैगा प्रोजक्ट), इण्डस्ट्रियल एरिया, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।